

उच्च शिक्षा निदेशालय
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
खंड - बी, दूसरा तल 5, शाम नाथ मार्ग, दिल्ली-110054

तारांकित / आतारांकित प्रसन संख्या :- 01 (तारांकित)

दिनांक :- 19-03-2018

प्रश्नकर्ता का नाम :- सुश्री राखी बिड़ला, माननीय विधायक,

क्या उपमुख्य मंत्री यह बताने कि कृपया करेंगे कि :-

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या सरकार ने दिल्ली में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए लोन स्कीम की घोषणा की थी?	सरकार ने उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए "उच्च शिक्षा और कौशल विकास गारंटी योजना" शुरू की है।
ख)	यदि हा, तो उस स्कीम को विवरण क्या है?	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने "उच्च शिक्षा और कौशल विकास गारंटी योजना" की शुरुआत सितंबर 2015 (ऑफलाइन) में की थी बाद में इस स्कीम को जून 2016 में (ऑनलाइन) ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लागू किया गया है। योजना में वे छात्र जो दिल्ली में डिप्लोमा या डिग्री स्तर का कोर्स या विशेष कौशल विकास कोर्स करना चाहते हैं और उन्होंने दिल्ली से 10वीं व 12वीं पास की है, उन्हें दिल्ली सरकार उच्च शिक्षा हेतु लोन की सुविधा इस योजना के तहत दे रही है। जिन कोर्सों के लिए अर्हक परीक्षा 10वीं है उनके लिए वही छात्र इस योजना के अंतर्गत पात्र है जिन्होंने दिल्ली से 10वीं कक्षा पास की है। योजना के अंतर्गत छात्र द्वारा लिए जाने वाले 10 लाख रुपये तक के बैंक ऋण पर विभाग द्वारा सृजित "दिल्ली उच्च शिक्षा और कौशल विकास क्रेडिट गारंटी निधि / फंड" के माध्यम से गारंटी प्रदान की जाती है। वर्तमान में यह योजना उन छात्रों के लिए भी उपलब्ध है जिन्होंने दिल्ली से 10वीं व 12वीं की परीक्षा पास की है और भारत में दिल्ली से बाहर स्थित केंद्रीय / राज्य सरकार के विश्व विद्यालय / संस्थान से डिग्री या डिप्लोमा स्तर का कोर्स या कौशल विकास का कोर्स करना चाहते हैं। स्कीम की प्रति संलग्न है। (अनुलग्नक-1)
ग)	मंगोलपुरी विधान सभा में कुल कितने विद्यार्थी उच्च शिक्षा लोन स्कीम से लाभान्वित हुए हैं?	ई-डिस्ट्रिक्ट पर उपलब्ध उच्च शिक्षा और कौशल विकास गारंटी योजना के ऑनलाइन पोर्टल पर विधान सभा क्षेत्रानुसार लाभान्वित छात्रों की सूचना उपलब्ध नहीं है।
घ)	उन विद्यार्थियों का उनके नाम, पते व ऋण राशि सहित पूर्ण विवरण क्या है?	तथापि सभी 174 (ऑनलाइन) तथा 58 (ऑफलाइन) लाभार्थियों की सूची संलग्न है (आंलग्नक-II)। विद्यार्थियों के पते देना छात्रों की सुरक्षा हेतु अनुकूल नहीं है, हालाँकि किसी विशेष छात्र का पता कोई माननीय सदस्य लेना चाहेंगे तो वह उपलब्ध करा दिया जाएगा।

अरविंद जैन

प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन)